**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)**

एफ 27 (304) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाई/अभि./टांका निर्माण/ 2016–17 जयपुर, दि.25.01.2017

**जिला कलेक्टर,**
**समस्त राजस्थान।**

**विषयः–** वर्षा जल संग्रहण हेतु टांका निर्माण कराये जाने के संबन्ध में।
**प्रसंगः–** विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 02.01.2017।

महोदय,

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्षा जल संग्रहण हेतु टाकों का निर्माण कार्य विभिन्न साईज व मापदण्डों के अनुसार करवाये जा रहे है, जिनकी लागत अलग–अलग होने के कारण असमानता, राजकीय धन का अधिक व्यय एवं आक्षेप व विरोधाभास आदि होने की स्थिति में राज्य में एक रूपता बनाये रखने की दृष्टि से प्रासांगिक पत्र दिनांक 02.01.2017 द्वारा निजी/व्यक्तिगत कृषकों/व्यक्तियों के लिये 30 हजार लीटर क्षमता के ही टांके निर्माण कराये जाने बाबत निर्देश जारी किये गये थे।

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की बैठक दिनांक 11.01.2017 में अध्यक्ष, नदी बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण द्वारा दिए गए सुझावों के क्रम में विशेष परिस्थितियों में निजी/व्यक्तिगत कृषकों/व्यक्तियों के लिये वर्षा जल संग्रहण हेतु निर्माण करवाये जाने वाले टांकों की अधिक क्षमता व आवश्यक मापदण्डों का निर्धारण करने बाबत सम्बन्धित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला दर निर्णायक समिति को निम्न शर्तों के अधीन अधिकृत किया जाता हैः–

1. निर्माण से पूर्व पानी की आवश्यकता तथा उपलब्धता (वर्षा जल संग्रहण एवं अन्य स्त्रोत से) का आंकलन किया जावें।
2. निर्माण कार्य के लिये पर्याप्त मात्रा में संबन्धित योजना में राशि उपलब्ध है।
3. निर्माण के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध निर्माण सामग्री का उपयोग किया जावें तथा स्थानीय प्रचलन का भी ध्यान रखा जावें।
4. जिस योजना के तहत टांका निर्माण किया जायेगा, उसके दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावें।
5. राजकीय धन का अपव्यय नहीं हो, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा।

25.1.2017
**(सुर्दशन सेठी)**
**अतिरिक्त मुख्य सचिव,ग्रावि**

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—**

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. विशिष्ठ सहायक, अध्यक्ष, नदी बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा योजना।
7. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू—संरक्षण विभाग, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्राविप्र), समस्त, राजस्थान।
9. परियोजना निदेशक, एम एण्ड ई/एसएपी—प्रथम/एसएपी द्वितीय/ईजीएस।
10. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/पंचायती राज/महात्मा गांधी नरेगा।
11. अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबन्धक, वाटरसेड सेल कम डाटा सेन्टर, समस्त राजस्थान।
12. अधिशाषी अभियन्ता (अभि./ईजीएस), जिला परिषद् (ग्राविप्र), समस्त, राजस्थान।
13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, राजस्थान।
14. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

**अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)**